संख्या-1018/2026/2388/22-2-2023-17(693)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सचिन पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-19806/प्रो0-3/फार्म-ए/2023/(एम0-07.06.2023) दिनांक-15.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सचिन पुत्र श्री चन्द्रपाल, नसीटी, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादिनी श्रीमती राजवती के अनुसार घटना दिनांक 14.05.2015 की है। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष सचिन चौधरी के पास लगभग एक वर्ष से ट्यूशन पढ़ने जाती रही है। दिनांक 14.05.2015 सोनिया उर्फ नगीना के पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ तब एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पर डाक्टर द्वारा अल्ट्रासाउन्ड किये जाने पर डा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सोनिया उर्फ नगीना गर्भवती है। सख्ती से पूछताछ किये जाने पर पीड़िता ने बताया कि सचिन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने अपनी मॉ से सारी बात बताने की बात कही तो सचिन ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-57/2015 में भा0द0वि0 की धारा-506 व 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, पोक्सों एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 मथुरा के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 17-04-2023 तक 07 वर्ष 11 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 08 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.09.2021 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट मधुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिनी श्रीमती राजवती के अनुसार घटना दिनांक 14.05.2015 की है। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष सचिन चौधरी के पास लगभग एक वर्ष से ट्यूशन पढ़ने जाती रही है। दिनांक 14.05.2015 सोनिया उर्फ नगीना के पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ तब एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पर डाक्टर द्वारा अल्ट्रासाउन्ड किये जाने पर डा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सोनिया उर्फ नगीना गर्भवती है। सख्ती से पूछताछ किये जाने पर पीड़िता ने बताया कि सचिन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने अपनी माँ से सारी बात बताने की बात कही तो सचिन ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सचिन पुत्र चन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सचिन (बन्दी संख्या-98/2021) पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1018/2026/2388(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1018/2026/2388/22-2-2023-17(693)/2023

दिनांक 29 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सचिन पुत्र श्री चन्द्रपाल, नसीटी, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादिनी श्रीमती राजवती के अनुसार घटना दिनांक 14.05.2015 की है। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष सचिन चौधरी के पास लगभग एक वर्ष से ट्यूशन पढ़ने जाती रही है। दिनांक 14.05.2015 सोनिया उर्फ नगीना के पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ तब एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पर डाक्टर द्वारा अल्ट्रासाउन्ड किये जाने पर डा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सोनिया उर्फ नगीना गर्भवती है। सख्ती से पूछताछ किये जाने पर पीड़िता ने बताया कि सचिन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने अपनी माँ से सारी बात बताने की बात कही तो सचिन ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-57/2015 में भा0द0वि0 की धारा-506 व 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, पोक्सों एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 मथुरा के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 17-04-2023 तक 07 वर्ष 11 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 08 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.09.2021 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट मधुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिनी श्रीमती राजवती के अनुसार घटना दिनांक 14.05.2015 की है। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष सचिन चौधरी के पास लगभग एक वर्ष से ट्यूशन पढ़ने जाती रही है। दिनांक 14.05.2015 सोनिया उर्फ नगीना के पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ तब एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पर डाक्टर द्वारा अल्ट्रासाउन्ड किये जाने पर डा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सोनिया उर्फ नगीना गर्भवती है। सख्ती से पूछताछ किये जाने पर पीड़िता ने बताया कि सचिन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने अपनी माँ से सारी बात बताने की बात कही तो सचिन ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सचिन पुत्र चन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।